संख्या-3/2016/22सी0डी0/46-3-16-1000(30)/2015

प्रेषक,

सुबोध कुमार श्रीवास्तव,
संयुक्त स चव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

जिला गन्ना अ धकारी/
बीज उत्पादन अ धकारी,
(संलग्नक में इं गत जनपदों के अनुसार)

चीनी उद्योग अनुभाग-3 लखनऊः दिनांक 05 फरवरी, 2016

वषयः- गन्ना वकास की योजना (जिला योजना) में अनुदान संख्या-83 (एस0सी0एस0पी0/आयोजनागत) के लए वत्तीय वर्ष 2015-16 में प्रा वधानित धनरा श रु0-220 लाख के सापेक्ष अवशेष द्वतीय कश्त (50 प्रतिशत्) की धनरा श रु0-110 लाख की वत्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त वषय के सम्बन्ध में प्रथम कश्त की वत्तीय स्वीकृति वषयक शासनादेश संख्या-27/2015/1214सी0डी0/46-3-15-1000(30)/2015, दिनांक 15 जून, 2015, तथा शासनादेश संख्या-29/2015/1485सी0डी0/46-3-15-1000(30)/2015, दिनांक 22 जून, 2015, जिसके द्वारा गन्ना वकास की योजना (जिला योजना) के नि मत्त चालू वत्तीय वर्ष 2015-16 हेतु अनुदान संख्या-83 (एस0सी0एस0पी0/आयोजनागत) में प्रा वधानित धनरा श के सापेक्ष रू0 2,20,00,000/- (रू0 दो करोड़ बीस लाख मात्र) की कार्ययोजना/कार्यक्रम की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करते हुए 50 प्रतिशत (प्रथम कश्त) की धनरा श रू0 1,10,00,000/- (रू0 एक करोड़ दस लाख मात्र) की वत्तीय स्वीकृति प्रदान की गयी थी, के अनुक्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है क गन्ना वकास की योजना (जिला योजना) एस0सी0एस0पी0 कार्यक्रमों के नि मत्त श्री राज्यपाल चालू वत्तीय वर्ष 2015-16 हेतु अनुदान संख्या-83 (एस0सी0एस0पी0/आयोजनागत) में प्रा वधानित धनरा श रू0 2,20,00,000/- (रू0 दो करोड़ बीस लाख मात्र) के सापेक्ष वर्तमान में अवशेष द्वतीय कश्त (50 प्रतिशत्) के रूप में रू0 1,10,00,000/- (रू0 एक करोड़ दस लाख मात्र) को संलग्नक में जनपदवार/कार्यक्रमवार निर्धारित कये गये लक्ष्य/फांट के अनुसार, व्यय कये जाने की वत्तीय स्वीकृति, श्री राज्यपाल इस शर्त के साथ प्रदान करते हैं क जनपद वशेष में उसी सीमा तक धनरा श आहरित की जायेगी, जिस सीमा तक जनपद की जिला योजना में परिव्यय का प्रावधान/आवंटन कया गया है।

2- स्वीकृत की जा रही धनरा श से केवल अनुसू चत जाति के लाभा र्थयों को ही लाभान्वित कया जायेगा। कसी भी दशा में धनरा श का व्यय/उपयोग सामान्य तथा अन्य वर्ग के लाभा र्थयों के लये नही कया जायेगा।

3- जिला गन्ना अ धकारी/बीज उत्पादन अ धकारी द्वारा यह सुनिश्चित कया जायेगा क स्वीकृत धनरा श से अनुसू चत जाति के लघु एवं सीमांत कृषकों को भी योजनान्तर्गत लाभान्वित कया जाय। इससे इतर व्यय अनियम मतता होगी, जिसका उत्तरदायित्व जिला गन्ना अ धकारी/बीज उत्पादन अ धकारी का होगा।

4- प्रस्तर-1 में स्वीकृत की जा रही धनरा श गन्ना वकास की योजना (जिला योजना) के अन्तर्गत संचा लत कार्यक्रमों के क्रयान्वयन हेतु शासनादेश संख्या-2043 सी0डी0/46-3-12-1000(38)/2012, दिनांक 10 दिसम्बर, 2012 द्वारा निर्गत मार्गदर्शक सद्धांतों के अनुसार व्यय करायी जायेगी। उक्त स्वीकृति वत्तीय वर्ष 2015-16 में जनपदों से उभर कर आये परिव्यय की सीमा तक व्यय की जायेगी।

5- स्वीकृत की जा रही उक्त धनरा श जिला गन्ना अ धकारी द्वारा आहरित कर सम्बन्धित गन्ना वकास परिषदों को उपलब्ध करायी जायेगी तथा संचा लत कार्यक्रमों के अन्तर्गत लाभा र्थयों को धनरा श का वतरण सम्बन्धित गन्ना

क्रमशः-----2

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी कया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमा णकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्या पत की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

वकास परिषदों द्वारा जिला गन्ना अधकारी के अनुमोदन से कया जायेगा। इस संबंध में वत्त वभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या-**2/2015/**बी-**1-925/**दस-**2015-231/2015,** दिनांक **30.03.2015** एवं वत्त वभाग द्वारा समय-समय पर निर्गत शासनादेशों/ आदेशों तथा बजट मैनुअल के प्रावधानों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित कया जाय

6- उक्त योजना के अन्तर्गत संचालत कार्यक्रमों के अन्तर्गत अनुदान बजट में निर्धारित सीमा के अन्दर कया जायेगा तथा योजना के संचालन का मूल्यांकन करते हुए उसकी रिपोर्ट शासन/वत्त वभाग को वत्तीय वर्ष की समाप्ति **(**दिनांक **31** मार्च**. 2016)** से पूर्व अनिवार्य रुप से उपलब्ध कराया जायेगा।

7- प्रस्तर-**1** में स्वीकृत**/**आवंटित धनराश को कसी ऐसे मद में न व्यय कया जाय, जिसके लए फाइनेन्शियल हैन्ड बुक**/**बजट मैनुअल तथा स्टोर परचेज के नियम के अन्तर्गत शासन या अन्य सक्षम अधकारी की पूर्व स्वीकृति आवश्यक है। ऐसा व्यय अपेक्षत स्वीकृति प्राप्त करके ही कया जाय।

8- गन्ना आयुक्त, उ**0**प्र**0** एवं सम्बन्धित अधकारी, गन्ना वकास वभाग यह सुनिश्चित कर लेंगे क स्वीकृत की जा रही धनराश का व्यय**/**उपयोग एस**0**सी**0**एस**0**पी**0/**टी**0**एस**0**पी**0** हेतु योजना आयोग, भारत सरकार तथा राज्य सरकार द्वारा निर्धारित मानक तथा दिशा-निर्देशों के अनुरूप कया जाय।

9- योजना में निहित राज**/**सहायता अनुदान का लेखा-जोखा रखने तथा प्रस्तर-**1** में स्वीकृत धनराश का उपयोगता प्रमाण-पत्र**/**व्यय-ववरण महालेखाकार, इलाहाबाद तथा वत्त वभाग एवं शासन को नियमत रूप से उपलब्ध कराने एवं महालेखाकार, इलाहाबाद से लेखाओं के नियमत मलान की कार्यवाही सुनिश्चित कराने का उत्तरदायित्व जिला गन्ना अधकारी/ बीज उत्पादन अधकारी**/** वत्त नियंत्रक, कार्यालय गन्ना आयुक्त, उ**0**प्र**0,** लखनऊ का होगा।

10- स्वीकृत धनराश एकमुश्त आहरित न कर आवश्यकतानुसार आहरित कर व्यय की जायगी तथा आहरित धनराश बैक**/**पी**0**एल**0**ए**0/**पोस्ट आफस अथवा डपाजिट खाते में नहीं रखी जायेगी।

11- स्वीकृत की जा रही वभन्न योजनाओं**/**मदों की उक्त धनराश का व्यावर्तन तथा पुनर्वनियोजन शासन की पूर्व अनुमति से कया जायेगा तथा वत्त वभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या-**2/2015/**बी-**1-925/**दस-**2015-231/2015,** दिनांक **30.03.2015** में दिये गये दिशा-निर्देशों तथा वत्त वभाग द्वारा समय-समय पर निर्गत शासनादेशों**/**आदेशों तथा बजट मैनुअल के प्रावधानों तथा बजट प्रकोष्ठ समाज कल्याण वभाग के शासनादेश संख्या-**07/26-**ब**0**प्र**0/2015,** दिनांक **27.03.2015** में निहित व्यवस्था का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित कया जायेगा।

12- उपर्युक्त व्यय चालू वत्तीय वर्ष **2015-16** के अनुदान संख्या-**83 (**एस**0**सी**0**एस**0**पी**0/**आयोजनागत**)** के अधीन लेखा शीर्ष **"2401-**फसल कृषकर्म-आयोजनागत-**789-**अनुसूचत जातियों के लये वशेष घटक योजना-**04-**गन्ना वकास की योजना (जिला योजना)-**27-**सब्सिडी" के नामे डाला जायेगा।

13- यह आदेश वत्त वभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या-**2/2015/**बी-**1-925/**दस-**2015-231/2015,** दिनांक **30** मार्च**, 2015** के प्रस्तर-**2** के उप प्रस्तर **(8)** तथा बजट प्रकोष्ठ, समाज कल्याण के शासनादेश संख्या-**07/26-**ब**0**प्र**0-2015,** दिनांक **27** मार्च**, 2015** में निहित व्यवस्था के अधीन निर्गत कये जा रहे हैं।

<u>संलग्नकः उपर्युक्तानुसार।</u>

भवदीय,

(सुबोध कुमार श्रीवास्तव)
संयुक्त सचव।

<u>संख्या-**3/2016/ 22(1)**सी**0**डी**0/46-3-16-1000(30)/2015,** तद्दिनांकत।</u>

प्रतिलप निम्नलखत को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषतः-

1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम**/**द्वतीय, उ**0**प्र**0,** इलाहाबाद।

2- महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम**/**द्वतीय, उ**0**प्र**0,** इलाहाबाद

क्रमशः---------3

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी कया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापत की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

3- महालेखाकार, (आ थक एवं राजस्व लेखा परीक्षा), उ0प्र0, छठां तल, केन्द्रीय भवन, सेक्टर-एच,अलीगंज, लखनऊ।

4- गन्ना आयुक्त, उ0प्र0, लखनऊ।

5- वत्त नियंत्रक, कार्यालय गन्ना आयुक्त, उ0प्र0, लखनऊ।

6- संबं धत जनपदों से सम्बन्धित मण्डलायुक्त।

7- संबं धत जनपदों के जिला धकारी।

8- संबं धत जनपदों के कोषा धकारी।

9- संबं धत क्षेत्रीय उप गन्ना आयुक्त/संयुक्त गन्ना आयुक्त, उ0प्र0।

10- नियोजन अनुभाग-3/राज्य योजना आयोग-1/2,

11- वत्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-6/ वत्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1,

12- बजट प्रकोष्ठ/कल्याण नियोजन प्रकोष्ठ, समाज कल्याण वभाग ।

13- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(सुबोध कुमार श्रीवास्तव)
संयुक्त स चव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी कया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमा णकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्या पत की जा सकती है ।

शासनादेश संख्या-3/2016/22सी0डी0/46-3-16-1000(30)/2015, दिनांक 05 फरवरी, 2016 का संलग्नक

गन्ना वकास की योजना(जिला योजना) में अनुदान संख्या–83 (एस0सी0एस0पी0/आयोजनागत) के लए वत्तीय वर्ष 2015-16 में प्रा वधानित धनरा श के सापेक्ष अवशेष द् वतीय कश्त की वत्तीय स्वीकृति का कार्यक्रमवार/जनपदवार ववरण। (धनरा श रुपये में)

क्र०सं०	नाम जनपद	आधार पौधशाला बीज वतरण कार्यक्रम	प्राथ मक पौधशाला बीज वतरण कार्यक्रम	अ भजनक बीज यातायात	आधार बीज यातायात	मृदा एवं बीज उपचार कार्यक्रम	पेडी प्रबन्धन	बायोफर्टिलाईजर/वर्मी कम्पोस्ट का प्रयोग	कुल योग
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	सहारनुपर	28375	56900	350	3200	159450	47900	171315	467490
2	मुजफ्फरनगर	38165	76500	450	4250	214450	64400	230415	628630
3	शामली	15785	31650	190	1800	88675	26650	95280	260030
	योग मण्डल	82325	165050	990	9250	462575	138950	497010	1356150
4	मेरठ	32345	64850	385	3600	181700	54600	195270	532750
5	बागपत	21925	43950	255	2450	123200	37025	132365	361170
6	गाजियाबाद	5360	10750	65	600	30100	9050	32360	88285
7	बुलन्दशहर	16155	32400	195	1800	90775	27250	97535	266110
8	हापुड़	7645	15325	90	900	42950	12900	46145	125955
	योग मण्डल	83430	167275	990	9350	468725	140825	503675	1374270
9	मुरादाबाद	16800	33700	200	1900	94400	28350	101440	276790
10	रामपुर	8500	17050	100	950	47800	14350	51330	140080
11	सम्भल	10755	21550	130	1200	60425	18150	64940	177150
12	अमरोहा	19615	39325	235	2200	110200	33125	118410	323110
13	बिजनौर	62670	125650	750	7040	352125	105800	378345	1032380
	योग मण्डल	118340	237275	1415	13290	664950	199775	714465	1949510
14	बरेली	24820	49750	295	2785	139450	41900	149850	408850
15	बदायूं	6500	13050	80	730	36525	10975	39240	107100
16	पीलीभीत	24200	48500	290	2715	135975	40850	146110	398640
17	शाहजहांपुर	19055	38200	225	2140	107050	32175	115030	313875

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी कया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमा णकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्या पत की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

18	कासगंज	1770	3550	25	200	9950	3000	10695	29190
19	अलीगढ	4240	8500	50	475	23850	7150	25600	69865
	योग मण्डल	80585	161550	965	9045	452800	136050	486525	1327520
20	लखीमपुर खीरी	75200	150775	900	8500	422525	126950	454005	1238855
21	सीतापुर	41245	82700	490	4600	231750	69625	249005	679415
22	रायबरेली	800	1600	25	100	4475	1350	4810	13160
23	फरूर्खाबाद	4720	9450	50	500	26525	7975	28500	77720
24	हरदोई	12405	24850	150	1400	69675	20925	74880	204285
25	कानपुर	2175	4375	25	250	12250	3675	13140	35890
	योग मण्डल	136545	273750	1640	15350	767200	230500	824340	2249325
26	फैजाबाद	10375	20800	125	1150	58300	17500	62640	170890
27	सुल्तानपुर	3010	6025	35	350	16900	5075	18160	49555
28	बाराबंकी	2370	4750	30	250	13300	4000	14310	39010
29	जौनपुर	850	1700	25	100	4750	1425	5120	13970
30	गाजीपुर	1050	2125	25	100	5925	1775	6340	17340
31	वाराणसी	730	1450	25	100	4100	1225	4405	12035
32	अम्बेडकरनगर	5775	11600	70	650	32450	9750	34865	95160
	योग मण्डल	24160	48450	335	2700	135725	40750	145840	397960
33	गोण्डा	23330	46775	275	2600	131100	39400	140850	384330
34	बलरामपुर	27700	55525	325	3150	155625	46750	167220	456295
35	बहराईच	23185	46500	275	2600	130275	39150	139970	381955
	योग मण्डल	74215	148800	875	8350	417000	125300	448040	1222580
36	गोरखपुर	1535	3075	25	200	8625	2600	9275	25335
37	बस्ती	21755	43625	260	2400	122250	36725	131355	358370
38	महराजगंज	5930	11900	70	650	33325	10000	35800	97675
39	सद्धार्थनगर	810	1625	25	100	4525	1375	4880	13340
	योग मण्डल	30030	60225	380	3350	168725	50700	181310	494720

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी कया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमा णकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्या पत की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

40	देवरिया	4280	8575	50	480	24050	7225	25835	70495
41	कुशीनगर	25250	50600	300	2835	141875	42650	152460	415970
42	मऊ	3440	6900	40	400	19325	5800	20770	56675
43	ब लया	1235	2450	25	150	6900	2100	7450	20310
44	आजमगढ	3915	7850	45	450	22000	6625	23630	64515
योग मण्डल		38120	76375	460	4315	214150	64400	230145	627965
सम्पूर्ण योग		667750	1338750	8050	75000	3751850	1127250	4031350	11000000

(रू० एक करोड दस लाख मात्र)

नोटः– जनपद शामली, हापुड, सम्भल तथा अम्बेडकरनगर को आवंटित धनरा श क्रमशः जिला गन्ना अ धकारी, मुजफ्फरनगर, गाजियाबाद, मुरादाबाद तथा फैजाबाद द्वारा आहरित कर इन जनपदों को उपलब्ध कराया जायेगा।

(सुबोध कुमार श्रीवास्तव)
संयुक्त स चव ।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी कया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमा णकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्या पत की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in